

# Form No. III

मज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

कांशीलाल वगैरे

बनाम


पेमराम वगैरे

केसम मुकदमा

राजस्व दरखास्त

नं. 70

सन् 2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
30/9/2015	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित ।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा एक राजस्व दरखास्त विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ..... 1958 ..... के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 5/10/2015 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</p> <p>5/10 पत्रावली पेश हुई आज पीठारीय अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/अवकाश पर है/ बेठक में पत्रावली पेश अवकाश पर है अतः पत्रावली आबत दिनांक 6/10/15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रिडर उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन</p> <p>6/10 पत्रावली पेश हुई आज पीठारीय अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/अवकाश पर है/ बेठक में पत्रावली पेश अवकाश पर है अतः पत्रावली आबत दिनांक 15/10/15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रिडर उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन</p>	1743

20/8/19

पत्रावली पेश हुई  
आज पीठासीन अधिकारी महोदय,  
अन्य कार्य से व्यस्त है/अनुपस्थित पर है/  
बैठक में पधारेंगे/अवकाश पर है  
अतः पत्रावली आयोजित  
दिनांक 8/7/19 को पेश हो।

रिडर  
उप सचिव अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट  
मारवाड़ जंक्शन

8/7/19 पत्रावली पेश हुई  
आज पीठासीन अधिकारी महोदय,  
अन्य कार्य से व्यस्त है/अनुपस्थित पर है/  
बैठक में पधारेंगे/अवकाश पर है  
अतः पत्रावली आयोजित  
दिनांक 20/8/19 को पेश हो।

रिडर  
उप सचिव अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट  
मारवाड़ जंक्शन

पत्रावली आज पेश हुई वकील  
ज्यादी जी जिन्हें किटिंग 300 वकील  
ज्यादी उक्त 300 पत्र को आगे नहीं  
चलाना चाहते हैं तथा विधिक में Not  
press करने का निर्देश किया गया  
वकील ज्यादी के निर्देश पर मान्य किया  
गया, चूंकि 300 पत्र वकील ज्यादी द्वारा  
स्वयं की जमानत के Not Press किया  
जा रहा है अतः वकील ज्यादी के निर्देश  
को स्वीकार करते हुए हल्कात 300  
पत्र को वकील ज्यादी की जमानत के  
आधार पर Not Press में खारीज  
किया जा रहा है। फिलहाल जिसका शुमार ही कर  
नम्बर से बना हो।  
निर्णय करे शुभकर आज दिनांक 20/8/19  
को सुनाया गया।

Note Press  
जिन्होंने  
कर

रिडर  
उप सचिव

